आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड

हडको भवन, आईएनसी लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 9 अगस्त,2011

<u>परिपत्र</u>

विषय : <u>हडको की व्हिसल ब्लोअर नीति</u>

सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर की सुरक्षा पर भारत सरकार के संकल्प को सतर्कता विंग के दिनांक 16 सितंबर, 2004 के परिपत्र संख्या एफ. सं. हडको/विग-274/2003/862 द्वारा सभी कर्मचारियों के संज्ञान में लाया गया था। सरकारी संकल्प की मुख्य विशेषताओं को अपनाया गया है और हडको के लिए निम्नलिखित व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की गई है।

1. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण के लिए लिखित शिकायतें प्राप्त करने के लिए अधिकृत "नामित एजेंसी" है।

2. आयोग शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखेगा।

3. शिकायत बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।

4. लिफाफा सचिव, सीवीसी को संबोधित होना चाहिए और उस पर "सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" लिखा होना चाहिए। यदि लिफाफा के ऊपर लिखा हुआ और बंद नहीं है, तो आयोग के लिए शिकायतकर्ता की सुरक्षा करना संभव नहीं होगा और शिकायत पर आयोग की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता को शिकायत के आरंभ या अंत में या संलग्न पत्र में अपना नाम और पता देना चाहिए।

5. आयोग गुमनाम/छद्म नाम वाली शिकायतों को दर्ज नहीं करेगा।

6. शिकायत का मूलपाठ सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि उसकी पहचान के बारे में कोई विवरण या सुराग न मिले। तथापि, शिकायत का विवरण विशिष्ट और सत्यापन योग्य होना चाहिए।

7. व्यक्ति की पहचान की सुरक्षा के लिए, आयोग कोई पावती जारी नहीं करेगा तथा व्हिसल ब्लोअर को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में आयोग के साथ कोई और पत्राचार न करें।

आयोग आश्वासन देता है कि मामले के तथ्यों के सत्यापन योग्य होने के अध्यधीन, वह भारत सरकार के संकल्प के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा।

8. आयोग प्रेरित/परेशान करने वाली शिकायतों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है।

उपरोक्त शिकायत तंत्र के अतिरिक्त, हडको के कर्मचारी, उधारकर्ता या ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी मुद्दे पर कोई जानकारी है जो संगठन के हित के लिए हानिकारक हो सकती है, उन्हें निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:-

i. वे इस संबंध में हडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य सतर्कता अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

ii. उन्हें लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच का अधिकार है।

iii. कर्मचारी की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

iv. सीवीसी के परिपत्र में निर्धारित क्रम संख्या 4 के अनुसार प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारी/व्यक्ति को अनुचित व्यवहार और अन्य पूर्वाग्रही रोजगार प्रथाओं से सुरक्षा दी जाएगी, यदि शिकायत झूठी या प्रेरित/परेशान करने वाली नहीं है।

इस नीति का उद्देश्य ईमानदार और सही व्यक्तियों को संगठन में पूर्ण पारदर्शिता लाने और इसके संचालन में कदाचार की जांच करने में सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

हस्ताक्षरित/-
(पी आर श्रीवास्तव)
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

प्रतिलिपि:

-सभी कर्मचारी/इंट्रानेट

-हडको की वेबसाइट

संख्या:004/वीजीएल/26

भारत सरकार

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

***

सतर्कता भवन, जीपीओ कॉम्पलैक्स,

ब्लॉक-ए, आई.एन.ए. नई दिल्ली -110023

दिनांक:17 मई,2004

कार्यालय आदेश सं. 33/5/2004

विषय - सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपी) पर भारत सरकार का संकल्प।

भारत सरकार ने भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को 'नामित एजेंसी' के रूप में अधिकृत किया है।

2. उपर्युक्त संकल्प के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस की प्रति संलग्न है। सभी सीवीओ को इस संकल्प के तहत आयोग द्वारा अग्रेषित शिकायतों के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई करना अपेक्षित है।

i. शिकायत में उठाए गए मामले के संबंध में सभी प्रासंगिक कागजात/दस्तावेज सीवीओ द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए तथा शिकायत की जांच तुरंत शुरू की जानी चाहिए। जांच रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर आयोग को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ii. सीवीओ को यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध "व्हिसल बलोअर" के कथित कारणों/संदेह के आधार पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

iii. ऐसी शिकायतों के आधार पर किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए आयोग के निर्देश की प्राप्ति के बाद, सीवीओ को डीए द्वारा आगे की कार्रवाई के अनुपालन की पुष्टि करनी होगी और देरी होने पर आयोग को सूचित करना होगा।

iv. इस आदेश की विषय वस्तु को सचिव/सीईओ/सीएमडी के संज्ञान में लाया जाए।

कृपया सभी सीवीओ उपरोक्त निदेशों के अनुपालन हेतु नोट करें।

हस्ताक्षर/-

(सुजीत बनर्जी)

सचिव,

प्रति:

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

संख्या:004/वीजीएल/26

भारत सरकार

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

***

सतर्कता भवन, जीपीओ कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए. नई दिल्ली -110023
दिनांक 13 फरवरी,2012

कार्यालय आदेश सं. 04/02/12

विषय - सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपी) पर भारत सरकार के संकल्प पर दिशानिर्देश।

भारत सरकार ने भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण के लिए लिखित शिकायतें प्राप्त करने और सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिरों के संरक्षण (पीआईडीपी) संकल्प 2204 के तहत उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को नामित एजेंसी के रूप में अधिकृत किया है। तदनुसार, आयोग ने भी दिनांक 1.5.2004 के परिपत्र संख्या 33/5/2004 के माध्यम से शिकायतकर्ताओं/ मुखबिरों की पहचान की सुरक्षा के लिए पीआईडीपी संकल्प के तहत व्हिसल ब्लोअर शिकायतें दर्ज करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर दिशानिर्देश और सार्वजनिक नोटिस जारी किया था।

2. आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में यह पाया है कि व्हिसल ब्लोअर होने का दावा करने वाले कई शिकायतकर्ता पीआईडीपी संकल्प के तहत आयोग को शिकायत दर्ज करते समय आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं। इसलिए, आयोग व्हिसल ब्लोअर शिकायत दर्ज करने के लिए प्रत्येक संगठन/विभाग के कर्मचारियों सहित जनता के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल देता है। आयोग पुनः मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/बीमा कंपनियों/स्थानीय प्राधिकरणों/सोसायटियों आदि के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को सुझाव देता है कि वे पीआईडीपी संकल्प और आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को अपनी वेबसाइट, विशेष रूप से संगठन के इंट्रानेट, आंतरिक पत्रिकाओं, प्रकाशनों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करें और अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए सेमिनार/संवेदीकरण आदि का भी आयोजन करें ताकि जनता, विशेष रूप से इनसाइडर्स को आगे आने और संबंधित संगठन/विभागों में भ्रष्ट आचरण या कार्यालय के दुरुपयोग की सूचना केंद्रीय सतर्कता आयोग को शिकायत दर्ज कराने/रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

हस्ता./-
(जे विनोद कुमार)
विशेष कार्याधिकारी

प्रति:

सभी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों/स्थानीय प्राधिकरणों/सोसायटियों के मुख्य सतर्कता अधिकारी।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार ने भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को 'नामित एजेंसी' के रूप में अधिकृत किया है।

2. इस संबंध में आयोग का क्षेत्राधिकार केन्द्र सरकार या किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, सरकारी कम्पनियों, समितियों या केन्द्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले स्थानीय प्राधिकरणों के किसी कर्मचारी तक सीमित होगा। राज्य सरकारों द्वारा नियोजित कार्मिक तथा राज्य सरकारों या उसके निगमों आदि की गतिविधियां आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगी।

3. इस संबंध में, आयोग जो ऐसी शिकायतें स्वीकार करेगा, उसका उत्तरदायित्व शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखना होगा। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संकल्प के अंतर्गत की जाने वाली किसी भी शिकायत में निम्नलिखित पहलुओं का अनुपालन किया जाना चाहिए।

(i) शिकायत बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।

(ii) लिफाफा सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित होना चाहिए तथा उस पर "जनहित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" लिखा होना चाहिए। यदि लिफाफा बंद नहीं है, तो आयोग के लिए उपरोक्त संकल्प के तहत शिकायतकर्ता की सुरक्षा करना संभव नहीं होगा तथा शिकायत पर आयोग की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता को शिकायत के आरंभ या अंत में या संलग्न पत्र में अपना नाम और पता देना चाहिए।

(iii) आयोग गुमनाम/छद्मनाम शिकायतों पर विचार नहीं करेगा।

(iv) शिकायत का मूलपाठ सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि उसकी पहचान के बारे में कोई विवरण या सुराग न मिले। तथापि, शिकायत का विवरण विशिष्ट और सत्यापन योग्य होना चाहिए।

(v) व्यक्ति की पहचान की सुरक्षा के लिए, आयोग कोई पावती जारी नहीं करेगा तथा मुखबिरों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में आयोग के साथ कोई और पत्राचार न करें। आयोग आश्वासन देता है कि मामले के तथ्यों के सत्यापन योग्य होने के अध्यधीन, वह ऊपर उल्लिखित भारत सरकार के संकल्प के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा। यदि किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तो आयोग शिकायतकर्ता से संपर्क करेगा।

4. आयोग इस संकल्प के तहत प्रेरित/परेशान करने वाली शिकायतें करने वाले शिकायतकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है।

5. विस्तृत अधिसूचना की एक प्रति आयोग की वेबसाइट http#www.cvc.nic.in पर उपलब्ध है।

सार्वजनिक सूचना

सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर की सुरक्षा पर भारत सरकार का संकल्प।

भारत सरकार ने भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को 'नामित एजेंसी' के रूप में अधिकृत किया है।

2. इस संबंध में, आयोग का क्षेत्राधिकार केन्द्र सरकार या किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, सरकारी कम्पनियों, समितियों या केन्द्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले स्थानीय प्राधिकरणों के किसी कर्मचारी तक सीमित होगा। राज्य सरकारों द्वारा नियोजित कार्मिक तथा राज्य सरकारों या उसके निगमों आदि की गतिविधियां आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगी।

3. इस संबंध में, आयोग जो ऐसी शिकायतें स्वीकार करेगा, उसका उत्तरदायित्व शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखना होगा। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संकल्प के अंतर्गत की जाने वाली किसी भी शिकायत में निम्नलिखित पहलुओं का अनुपालन किया जाना चाहिए।

(i) शिकायत बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।

(ii) लिफाफा सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित होना चाहिए तथा उस पर "जनहित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" लिखा होना चाहिए। यदि लिफाफा बंद नहीं है, तो आयोग के लिए उपरोक्त संकल्प के तहत शिकायतकर्ता की सुरक्षा करना संभव नहीं होगा तथा शिकायत पर आयोग की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता को शिकायत के आरंभ या अंत में या संलग्न पत्र में अपना नाम और पता देना चाहिए।

(iii) आयोग गुमनाम/छद्मनाम शिकायतों पर विचार नहीं करेगा।

(iv) शिकायत की विषय वस्तु सावधानीपूर्वक तैयार की जानी चाहिए ताकि उसकी पहचान के बारे में कोई विवरण या सुराग न मिले। तथापि, शिकायत का विवरण विशिष्ट और सत्यापन योग्य होना चाहिए।

(v) व्यक्ति की पहचान की सुरक्षा के लिए, आयोग कोई पावती जारी नहीं करेगा तथा मुखबिरों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में आयोग के साथ कोई और पत्राचार न करें। आयोग आश्वासन देता है कि मामले के तथ्यों के सत्यापन योग्य होने के अध्यधीन, वह ऊपर उल्लिखित भारत सरकार के संकल्प के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा। यदि किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तो आयोग शिकायतकर्ता से संपर्क करेगा।

4. आयोग इस संकल्प के तहत प्रेरित/परेशान करने वाली शिकायतें करने वाले शिकायतकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है।

5. विस्तृत अधिसूचना की एक प्रति आयोग की वेबसाइट http#www.cvc.nic.in पर उपलब्ध है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग, आईएनए, सतर्कता भवन नई दिल्ली द्वारा जनिहत में जारी।

हस्ता./-
सचिव
केन्द्रीय सतर्कता आयोग